भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2992

जिसका उत्तर 26.03.2025 को दिया जाना है

टोल शुल्क में वृद्धि

2992. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आम लोगों को राहत देने के वादे के बावजूद टोल शुल्क में लगातार वृद्धि की जा रही है, जिससे आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों पर बोझ बढ़ रहा है;

(ख) सरकार आम लोगों, विशेषकर जो अपने दैनिक आवागमन के लिए सड़क परिवहन पर निर्भर हैं, पर बढ़े हुए टोल शुल्क के प्रतिकूल प्रभावों को किस प्रकार कम करेगी; और

(ग) क्या टोल नीति को और अधिक न्यायसंगत और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए इसकी समीक्षा या संशोधन करने की कोई योजना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है। सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 और रियायती शुल्क प्लाजा के लिए रियायत समझौते के समय लागू शुल्क नियमों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क दरों को थोक मूल्य सूचकांक से जोड़कर वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

मुख्यतः थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के आधार पर एनएच प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर एकत्रित प्रयोक्ता शुल्क समय-समय पर संशोधन के अध्यधीन है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझान को दर्शाता है। इसके अलावा, जब कभी किसी विशेष शुल्क प्लाजा के अंतर्गत टोल की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो प्रयोक्ता शुल्क की दरें भी बढ़ जाती हैं।

(ख) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता शुल्क में छूट और मासिक पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सरकार प्रयोक्ता शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा वार्षिक पास प्रणाली की शुरुआत सहित शुल्क प्लाजा पर सड़क प्रयोक्ताओं की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है।
